न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 463 सन 2018

अनवान :–

1. हरिसिह पुत्र श्योलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

बनाम

1. नाजोदेवी पुत्री दीपचन्द उर्फ दीपाराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. विधा पुत्री श्योलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
3. मोहरसिह 4 रामसिह 5 कमला पुत्र/पुत्रीयान सरबती जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
6 रूकमा पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
7 कुलदीप पुत्र महेन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
8 उर्मिला देवी पुत्री महेन्द्र जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
9 गुडडी पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
10 विनोद 11 मुकेश पुत्रगण देवीलाल जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
12 महेन्द्रसिह 13 रमेश कुमार 14 श्रवण कुमार पुत्रगण गोमी उर्फ गोमती जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
15 सुशीला 16 मंजू 17 विमला पुत्रीयान गोमी उर्फ गोमती जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
18 जयसिह 19 विजयसिह पुत्रगण धापी जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
20 कृष्णा 21 मन्जु 22 सुदेश पुत्रिया धापी जाति जाट साकिन फेफाना तहसील नोहर
23 देवीलाल 24 सन्तोष 25 सरस्वती 26 सुलतान 28 इन्द्रा पुत्र, पुत्रीया फुला जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
29 गोमती देवी पत्नी अमरसिह पुत्र जमना जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
30 बन्टी पुत्र अमरसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
31 कमलादेवी पत्नी लीलूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
32 संदीप कुमार पुत्र लीलूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
33 बिमला पुत्री लीलूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
34 शकुन्तला पुत्री जमना जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
34ए. देशराज पुत्र जमना जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
34बी राकेश पुत्र लीलूराम जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
35 रामकुमार 36 सीताराम 37 बलवीर 38 ओमप्रकाश 39 देवतराम 40 बंशीलाल पुत्रान दीपाराम उर्फ दीपचन्द जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 15.1.19

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 156/144 के कुल किता 15 की 3.5400हैक भूमि वादी के पिता श्योलाल के नाम से दर्ज है वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी के पिता श्योलाल के नाम से दर्ज हुई है जिनका भी दिनांक 12.09.1985 को देहान्त हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 है जिनका वाद भूमि में हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 35 ता 40 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 35 ता 40 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 40 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद वाद भूमि में श्योलाल के नाम से दर्ज हुई है जिसका भी देहान्त हो चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 40

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 35 ता 40 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 35 ता 40 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि श्योलाल के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर श्योलाल के नाम से दर्ज हुई है श्योलाल का भी देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वारिस प्रमाण पत्र से साबित है। अर्थात वादी भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 का बराबर का हक हिस्सा है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 ने अपने हक हिस्स की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 35 ता 40 के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 34 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि में उसने अपने हकों का त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 35 ता 40 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 35 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 केएनएन के खाता संख्या 156/144 के कुल किता 15 की कुल 3.5400हैक भूमि में श्योलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 35 ता 40 का संयुक्त तौर से 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15-1-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official